


21/5/19

प्राथीगण के वकील ने पशावली तलब का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पशावली पर आप ही सुनवाई करने का निर्देश किया जिस पर सुन गया। अतः पशावली तलब का प्रा पत्र स्वीकार किया जाकर पशावली आप सुनवाई हेतु प्रस्तुत। प्राथीगण संख्या 1, 3, 4 व 2 के परिचय वकील श्री पालराम पुनिया के विद्वो प्रा पत्र प्रस्तुत कर निर्देश किया कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य आपसी समझौता व स्वेच्छा से संधिनामा हो गया है। अतः उक्त प्रकरण परिचय विद्वो प्रा पत्र के विद्वोले फरमावे, जिस पर सुन गया। प्राथीगण संख्या 1, 3, 4 की पहचान वकील श्री पालराम पुनिया के है। अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र (21/2 RT Act) परिचय विद्वो प्रा पत्र के विद्वोले किया जाता है। पशावली फ्रेंडल्युकार एवं तलब से कर लोक प्रसिद परत है।



सहायक कलेक्टर चित्तलघामा
(रूपरखण्ड अधिकारी - चित्तलघामा)

सोनाराम

सिकारि
गीलादेवी

R-12 मोदी



श्री
W.
M